न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA056 Kanakdhara Agroland Pvt Ltd Vs Lichmansingh etc

मैसर्स कनकधारा एग्रोलैण्ड प्रा.लि.
01 थर्ड फ्लोर अम्बर चैम्बर, संसारचन्द्र रोड जयपुर जरिये
अधिकृत प्रतिनिधि मुकेशकुमार पुत्र जयवीर राणा
निवासी मकान संख्या 194 ब्लॉक सी गली नम्बर 5
किरारी सुलेमान नगर, प्रेमनगर एक्सटेंशन
न्यु दिल्ली

----- अपीलाण्ट

बनाम

1. लिछमणसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत
2. श्रवणसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
3. कानसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
4. नखतसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
5. जयवीरसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
6. रणवीरसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
7. शिवसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
   रेस्पो. संख्या 4 से 7 नाबालिग संख्या जरिये कुदरती वलिया माता शैलुकंवर पत्नी लिछमणसिंह राजपूत निवासीगण कानसिंह की सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर
8. तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 21 नवम्बर 2013 राजस्व वाद संख्या 217/2013 श्रवणसिंह व अन्य बनाम लिछमणसिंह आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से सात
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 11 फर., 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 217/2013 श्रवणसिंह व अन्य बनाम लिछमणसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21 नवम्बर 2013 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 7 ने प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 1 व 8 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 53 के तहत एक राजस्व वांद सरहद मौज़ा खिदरत तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 673/1 रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 722/5 रकबा 79 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 118 बीघा 08 बिस्वा के संबंध में पेश कर जाहिंर किया कि उक्त आराजियात पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्व में वादीगण के दादा लादूसिंह पुत्र झूंझारसिंह के नाम दर्ज थी, लादूसिंह के फौत होने के बाद यह भूमि विरासत में प्रतिवादी संख्या एक को प्राप्त होना, वादीगण स्वयं को प्रतिवादीगण संख्या एक के जाइन्दा पुत्र होना एवं तदनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का हक-हिस्सा होना आदि जाहिर करते हुए यह भी दर्शाया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा संवत 2060 में आपसी सहमति से किये गये बंटवारे के अनुसार वादीगण के हक में ग्राम खिदरत के खसरा संख्या 722/5 रकबा 79 बीघा 12 बिस्वा भूमि बहिस्सा बराबर-बराबर वादीगण एवं प्रतिवादी के बंट में ग्राम खिदरत के खसरा संख्या 673/1 रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा भूमि रखी गयी और इस अनुसार मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मगर वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी संबंध मधुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं होने के कारण वादीगण द्वारा आलौच्य दावा पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या एक द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21 नवम्बर 2013 को डिक्री कर दिया गया जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 फरवरी 2014 को पेश की गयी। उक्त अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया। अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील संख्या 018/2014 मैसर्स कनकधारा एग्रोलेण्ड प्रा.लि. बनाम लिछमणसिंह व अन्य मियाद-बाधित होने तथा धारा 96 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण दिनांक 12 नवम्बर 2014 को खारिज कर दी गयी। अदालत हाजा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12 नवम्बर 2014 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के तहत द्वितीय अपील पेश की गयी, जो अपील दिनांक 24 अप्रेल 2019 को स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्देशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करने का प्रस्तुत कर निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि खसरा संख्या 722/5 रकबा 79 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा खिदरत जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 13 मई 2008 को खरीद की जा चुकी है लेकिन अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। इस कारण अपीलाण्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपीलाण्ट को को आवश्यक पक्षकार मानते हुए मामले में धारा 96 का आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं माना है। ऐसी स्थिति में यद्यपि धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, उसके उपरान्त भी धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील के गुणावगुण पर भी अधिवक्ता-अपीलाण्ट का यही कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या एक कमशः पुत्र, पत्नी व पिता एवं पति है और इस कारण वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या एक के मध्य पूर्व में संवत 2060 की आखातीज को आपसी सहमति से बंटवारा किया जिसके अनुसार वादीगण के बंट में ग्राम खिदरत के खसरा संख्या 722/5 रकबा 79 बीघा 12 बिस्वा भूमि बहिस्सा बराबर-बराबर तथा प्रतिवादी के बंट में ग्राम खिदरत के खसरा संख्या 673/1 रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा भूमि रखी गयी, जिसमें कभी किसी पक्षकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया उक्त बंटवारे अनुसार ही वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया जिसका प्रतिवादी संख्या एक ने इकबाली जबाब प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 नवम्बर 2013 की जानकारी अपीलाण्ट को जयपुर में दिनांक 01

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जनवरी 2014 को हुई। अपीलाण्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट ने जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 13 मई 2008 को प्रतिवादी लिछमणसिंह से कय की थी मगर वादी एवं प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर आलौच्य वाद पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया का अनुसरण किये जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी स्वीकार कर लिया गया। वाद प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही अपीलाण्ट को उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये भूमि कय कर लिंये जाने के कारण वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, मगर इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया जाने तथा बेचाननामा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

जबाव में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पत्ति थी, जो वक्त सेटलमेण्ट वादीगण के दादा लादूसिंह पुत्र झूंझारसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, लादूसिंह के फौत होने पर यह आराजियात प्रतिवादी एक लिछमणसिंह पुत्र लादूसिंह के नाम दर्ज हुई, इस मामलें में प्रतिवादी लिछमणसिंह के वादीगण जाइन्दा पुत्र है और यदि लिछमणसिंह द्वारा कोई बेचान वादग्रस्त आराजी का अपीलाण्ट के पक्ष में वादीगण की जानकारी के बिना किया गया हो तो ऐसा बेचाननामा वादीगण के वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि की सीमा तक प्रारम्भ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से ही वॉइड एवं शून्य प्रभावी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं अधिकार-विहीन होने से खारिज की जावे।

उभय-पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपील स्तर पर प्रस्तुत पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 13 मई 2008 का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपीलाण्ट एक प्राईवेट कम्पनी है जिसके द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 722/5 रकबा 79 बीघा भूमि बएवज राशि रुपये 12,16,000/- दिनांक 13 मई 2008 को तत्कालीन रिकार्डेड खातेदारा प्रतिवादी-रेस्पो. लिछमणसिंह से जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख (उप-पंजीयक फलोदी के कार्यालय में पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 06, पृष्ठ संख्या 184 कम संख्या 2008000886 पर पंजीबद्ध) खरीद किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलौच्य दावा दिनांक 03 अक्तूबर 2012 को दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रेस्पो. लिछमणसिंह, जो कि स्वयं पंजीबद्ध विकय विलेख का निष्पादक है, के द्वारा उक्त विकय विलेख के संबंध में कुछ भी कथन नहीं करना, अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन को बल प्रदान करता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सद्भावनापूर्वक नहीं आये और मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी प्राप्त की है। दूसरी ओर उक्त बेचान के संबंध में वादीगण-रेस्पो. की ओर से आक्षेप लिया गया है कि प्रतिवादी-रेस्पो. लिछमणसिंह को पुश्तैनी भूमि बाबत उक्त बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की रायं में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसार नितान्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 नवम्बर 2013 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट सहित समस्त पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मामले में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर